

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०  
प्रकरण संख्या - 5/2026 (Bank Case)

GCMS No. 2026/11

वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नम्बर-203 एवं 204, द्वितीय तल, ए विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बून्दर रोड, सेवरी वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400015 में स्थित एवं कार्यरत है एवं जिसका एक कार्यालय- प्रथम तल, मरुधर प्लाजा, एफ-300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड, मेट्रो पिल्लर नं०-102 के सामने, सोडाला, जयपुर, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जयें प्राधिकृत अधिकारी श्री राम दूधवाल।

- प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

1. Mrs. Sugana Bai (Applicant/ Borrower)  
Residence Address: 03, Nadi Ke pass, Atraliya, Govt. School ke pass, Tehsil- Sangod, Kota (Raj.) 325601  
Property Address: Patta no. 11246, Khasra no. 230 Village- Atraliya, gram panchayat- mandap, panchayat simiti- Sangod (Co-Borrower)  
Permanent Address: 03, Nadi Ke pass, Atraliya, Govt. School ke pass, Tehsil- Sangod, Kota (Raj.) 325601  
Office Address: Farm at Bablu ji same village at Atraliya, kota(Raj.)
2. Mr. Prabhu Lal (Co-Applicant/Co-Borrower & Mortgagor)  
Residence Address: 03, Nadi Ke pass, Atraliya, Govt. School ke pass, Tehsil- Sangod, Kota (Raj.) 325601  
Property Address: Patta no. 11246, Khasra no. 230 Village- Atraliya, gram panchayat- mandap, panchayat simiti- Sangod  
Permanent Address: 03, Nadi Ke pass, Atraliya, Govt. School ke pass, Tehsil- Sangod, Kota (Raj.) 325601  
Office Address: Rajendra ji same village Atraliya, kota(Raj.)
3. Mr. Akash Kumar (Co-Applicant/Co-Borrower)  
Residence Address: 03, Nadi Ke pass, Atraliya, Govt. School ke pass, Tehsil- Sangod, Kota (Raj.) 325601  
Property Address: Patta no. 11246, Khasra no. 230 Village- Atraliya, gram panchayat- mandap, panchayat simiti- Sangod, kota  
Permanent Address: 03, Nadi Ke pass, Atraliya, Govt. School ke pass, Tehsil- Sangod, Kota (Raj.) 325601  
Office Address: Datar Tent House Kundanpur, kota(Raj.) 325601

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 28.01.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नम्बर-203 एवं 204, द्वितीय तल, ए विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बून्दर रोड, सेवरी वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400015 में स्थित एवं कार्यरत है एवं जिसका एक कार्यालय- प्रथम तल, मरुधर प्लाजा, एफ-300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड, मेट्रो पिल्लर नं०-102 के सामने, सोडाला, जयपुर, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 21.04.2023 को खाता संख्या MLP000000133849 में रूपये

3,00,000 / - (अक्षरे: तीन लाख रुपये मात्र), का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में श्री प्रमूलाल पुत्र श्री मदनलाल मेघवाल की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 11246 ग्राम अतरालिया, ग्राम पंचायत- मण्डाप, तहसील- सांगोद, कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफीट है। जिसकी चर्तु:सीमाएं पूरब में- रामपाल, पश्चिम में- रास्ता, उत्तर में- मोहनलाल, दक्षिण में- रामप्रसाद, है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 03.08.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों में 2,93,508 / - (अक्षरे दो लाख, तिरानवें हजार पाच सौ आठ रुपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 11.08.2025 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि नय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 13.08.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 13.08.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 13.08.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता श्री प्रमूलाल पुत्र श्री मदनलाल मेघवाल की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 11246 ग्राम अतरालिया, ग्राम पंचायत- मण्डाप, तहसील- सांगोद, कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफीट है। जिसकी चर्तु:सीमाएं पूरब में- रामपाल, पश्चिम में- रास्ता, उत्तर में- मोहनलाल, दक्षिण में- रामप्रसाद, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे।

आदेश आज दिनांक 28.01.2026 को सुनाया गया।

(पायूष समारिया)  
जिला मजिस्ट्रेट कोटा  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)